# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

**पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः– **2013/215** दायर दिनाँक **20.09.2013**

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 नारायणराम जाति मेघवाल निवासी मौलासर तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. गौरी शंकर पुत्र नुन्दराम (फौत)<br>1/1 गजाधर पुत्र गौरी शंकर<br>1/2 संगीता देवी पुत्री गौरी शंकर<br>1/3 सीमादेवी पुत्री गौरी शंकर<br>1/4 अरूणा पुत्री गौरी शंकर<br>समस्त जाति महाजन निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 |

**दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत 88, 188 R.T.Act.**
**में**
**प्रार्थना–पत्र**
**अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 C.P.C.**

**उपस्थितः–**

1. श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

**–:: निर्णय ::–**

दिनाँक **06.11.2018**

वादी में प्रतिवादी संख्या गौरी शंकर ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि उक्त अनुवान का वाद बिना किसी हक अधिकार के गैर कानूनी रूप से पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है और प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। वादी ने रामू पुत्र हेमा का वारिसान होना मानकर दावा पेश किया है जबकि वादी रामू का वारिसान ही नहीं है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ वंशावली पेश की। वादी का कथन है कि रामू पुत्र हेमाराम के नाम से गिरदावरी रही थी और रामू के पुत्र लादुराम के मेरे पिता को उक्त बाडा संभला देने व पिता ने मुझ वादी को संभला देने के उल्लेख मात्र से प्रतिवादी की खातेदारी लेने का अधिकारी हो गया। वर्तमान में वादी कानूनन दावा लाने का अधिकारी नहीं है। वादी के पिता नारायणराम बागाराम के गोद आया हुआ है इसलिए भी वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं है।

खसरा संख्या 500 रकबा 10 बिस्वा वाके मौलासर का प्रतिवादी पिछले 38 वर्षो से खातेदार व काबिज है। इस बाडा का नियमन तहसीलदार डीडवाना ने अपने मुकदमा नम्बर 756/77 दिनांक 13.03.1978 के जरिये किया था क्योंकि पटवारी हल्का मौलासर ने प्रतिवादी गौरी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

शंकर को राज0 लेण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिनांक 17.06.1978, 01.09.1977, 02.04.1978 को दिये थे तथा पटवारी हल्का मौलासर की मौका रिपोर्ट में भी प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त बताया गया तथा ग्राम पंचायत मौलासर के प्रमाण पत्र अनुसार प्रतिवादी का कब्जा सन् 1971 से पूर्व का माना है। प्रतिवादी का पुराना कब्जा होने से राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ 06(10)राज0/ग्रुप/4177 दिनांक 23.04.1977 विशिष्ठ शासन सचिव ग्रुप–4 विभाग राजस्थान जयपुर के अनुसार मामला नियमन होने के कारण प्रतिवादी के नाम नियमन किया जाकर खसरा संख्या 500 में से 10 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण गौरी शंकर के नाम भरा गया तथा खातेदारी में दर्ज हो गयी। जिसका इन्द्राज संवत 2032 से 2035 की जमाबन्दी में भी है तथा आज तक है। उक्त जायगा पर प्रतिवादी के मकान, गोदाम चारदिवारी आदि निर्माण किये हुए है तथा प्रतिवादी का कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि स्व0 रामूराम पुत्र हेमा वादी का दादा लगता है इसलिए प्रतिवादी का यह कथन की वादी रामू का वारिस नहीं है गलत है। वादी ने प्रतिवादी के आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों का अस्वीकार किया तथा निवेदन किया कि प्रतिवादी की दरख्वास्त बेबुनियाद व निराधार होने से मय खर्चा खारिज करने की कृपा करावें।

पत्रावली वास्ते बहस रखी गई। दिनांक 06.11.2018 को वकील वादी अनुपस्थित। बार बार आवजे लगाई गई बावजुद आवाजों के अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की बहस मुख्यत उनके प्रार्थना पत्र पर रही। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि खसरा संख्या 500 रकबा 10 बिस्वा वाके मौलासर का प्रतिवादी पिछले 38 वर्षो से खातेदार व काबिज है। इस बाडा का नियमन तहसीलदार डीडवाना ने अपने मुकदमा नम्बर 756/77 दिनांक 13.03.1978 के जरिये किया था क्योंकि पटवारी हल्का मौलासर ने प्रतिवादी गौरी शंकर को राज0 लेण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिनांक 17.06.1978, 01.09.1977, 02.04.1978 को दिये थे तथा पटवारी हल्का मौलासर की मौका रिपोर्ट में भी प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त बताया गया तथा ग्राम पंचायत मौलासर के प्रमाण पत्र अनुसार प्रतिवादी का कब्जा सन् 1971 से पूर्व का माना है। प्रतिवादी का पुराना कब्जा होने से राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ 06(10)राज0/ग्रुप/4177 दिनांक 23.04.1977 विशिष्ठ शासन सचिव ग्रुप–4 विभाग राजस्थान जयपुर के अनुसार मामला नियमन होने के कारण प्रतिवादी के नाम नियमन किया जाकर खसरा संख्या 500 में से 10 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण गौरी शंकर के नाम भरा गया तथा खातेदारी में दर्ज हो गयी। जिसका इन्द्राज संवत 2032 से 2035 की जमाबन्दी में भी है तथा आज तक है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या–215/2013
दायर दिनाँक 20.09.2013 निर्णय दिनाँक 06.11.2018
कन्हैयालाल बनाम गौरी शंकर वगैरा।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने एवं रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 500 रकबा 10 बिस्वा वाके मौलासर का प्रतिवादी पिछले 38 वर्षो से खातेदार व काबिज है तथा प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज है। अतः बाद विवेचन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाता है।

**–:: आदेश ::–**

वाद में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी. पी.सी का स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 06.11.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner